


केन्द्रीय विद्यालय संगठन



केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मुख्यालय)
Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ)
 शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान
 An Autonomous Body
 Under Ministry of Education, Govt. of India
 18 संस्थागत क्षेत्र/18 Institutional Area,
 शहीद जीत सिंह मार्ग/Shahid Jeet Singh Marg
 नई दिल्ली/New Delhi – 110016
 दूरभाष/Telephone: 011-26858570
 वेबसाइट/Website: www.kvsangathan.nic.in

फ क्र 11-E-3056(7)/1/2022-Estt-III/1922-1985

दिनांक: 04.05.2023

जापन / MEMORANDUM

विषय: वरिष्ठ सचिवालय सहायक (SSA) से सहायक अनुभाग अधिकारी (ASO) के पद पर वर्ष 2022 तक के लिए विभागीय पदोन्नति (Reserve पैनल) / Departmental Promotion upto the year 2022 from the post of Senior Secretariat Assistant to the post of Assistant Section Officer- Reserve Panel.

सक्षम अधिकारी द्वारा निम्नलिखित वरिष्ठ सचिवालय सहायकों (SSA) को सहायक अनुभाग अधिकारी (ASO) के पद पर सातवें वेतन आयोग के अनुरूप लेवल 06 में पदोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस विभागीय पदोन्नति पर उनके नाम के आगे दर्शाए गए कॉलम 6 में उल्लेखित केन्द्रीय विद्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय / मुख्यालय में उन्हें पदस्थ किया गया है। उन्हें इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि वे पदोन्नति के लिए बिना-शर्त अपनी स्वीकृति (Unconditional Acceptance) को इस कार्यालय को दिनांक 15.05.2023 तक उचित माध्यम से मेल आई.डी. kvse23@gmail.com पर प्रेषित करें एवं दिनांक 25.05.2023 तक कार्यभार ग्रहण कर लें अन्यथा पदोन्नति का प्रस्ताव स्वतः ही निरस्त माना जाएगा और भविष्य में इस संबंध में कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा। साथ ही केविसं (मु.) के पत्र संख्या 6-6/1999/केविसं (मुख्यालय) /आरपीएस दिनांक 04.09.2008 के अनुसार दिनांक 26.05.2023 से उन्हें 01 वर्ष के लिए पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा एवं उनकी वरिष्ठता में परिवर्तन होगा।

पदोन्नत कार्मिक के विरुद्ध किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई / सतर्कता जांच व अन्य दंडात्मक प्रक्रिया लागू अथवा विचाराधीन नहीं होनी चाहिए। यदि किसी कार्मिक के विरुद्ध उपरोक्त कार्रवाई विचाराधीन है तो उसको कार्यमुक्त न किया जाए व इस संबंध में के.वि.सं. (मुख्यालय) को तत्काल सूचित किया जाए।

RESERVE PANEL UP TO THE YEAR 2022 – UNRESERVED CATEGORY

S. N.	Sen. No.	Name (Mr./ Ms./ Mrs.)	Date of Birth (DD/MM/YYYY)			KV/KVS unit where working as SSA	Allotted KV/KVS unit
1	2	3	4			5	6
1	342	SURESH KUMAR BATHLA	14	8	1965	ROHTAK	KV NSG MANESAR
2	344	SHEEL SHARMA	1	7	1967	LUCKNOW CRPF (1ST SHIFT)	KV UNNAO
3	346	SUDIP KANTI NATH	1	3	1964	RO SILCHAR	RO SILCHAR
4	348	NANU T BHAT	13	11	1966	SHIVAMOGGA	RO BANGALORE
5	350	MOHD YOUSUF DAR	10	1	1968	HUMHAMA	KV BANTALAB
6	351	RAM PRAVESH SINGH	7	9	1966	AFS GORAKHPUR	KV NO.2 FCI GORAKHPUR
7	352	RAKESH KUMAR	17	9	1966	PITAMPURA 2ND SHIFT	RO DELHI
8	353	KHEEM SINGH	28	2	1967	OLF, DEHRADUN	RO AGRA
9	354	NAGENDRA PRASAD DHYANI	12	7	1967	PAURI	RO DELHI
10	355	SUBHASH CHAND	19	11	1966	KVS (HQ)	KVS (HQ)
11	357	NEELAM MANIK	7	5	1971	KVS (HQ)	RO DELHI
12	359	VIDHU AMEJA	13	8	1969	KVS (HQ)	VIKASPURI(2 nd shift)
13	360	AMARNATH SINGH	20	08	1969	KV NO.1 UPPAL	RO HYDERABAD
14	361	VINAY KUMAR CHOUDHARY	01	09	1965	KV NO.1 DHANBAD	KV KANKARBAGH (2 nd shift)

(14 Cases)

दस्तावेज
04/05/23

RESERVE PANEL UP TO THE YEAR 2022 – SCHEDULED CASTE CATEGORY


S. N.	Sen. No.	Name (Mr./Ms./ Mrs.)	Date of Birth (DD/MM/YYYY)			KV/KVS unit where working as SSA	Allotted KV/KVS unit
1	2	3	4			5	6
1	373-A	RAJINDER KUMAR	04	04	1971	RO JAIPUR	KVS (HQ)
2	385	MANOJ KUMAR	10	08	1969	MURADNAGAR	RO AGRA
3	400	RAJESH KUMAR	14	06	1967	RO JAMMU	RO JAMMU
4	408	AVAYA KUMAR SETHY	25	06	1972	ARC CHARBATIA	KVS (HQ)
5	409	ASHOK KUMAR DAS	18	01	1967	NO.1 KHARAGPUR IIT	RO KOLKATA
6	410	DEVENDRA KUMAR	25	02	1974	NO.5 JAIPUR(1 st SHIFT)	KVS(HQ)
7	411	DESHRAJ SINGH	04	10	1967	GURUGRAM SOHNA ROAD	KV PUSHP VIHAR (1 st shift)

(07 Cases)

(Total 21 Cases)

- संबन्धित कर्मचारी की केवल बीमारी/प्रसूति संबंधी कारणों के अलावा किसी भी अन्य कारण के आधार पर पद ग्रहण करने की उक्त दी गई अंतिम तिथि में कोई भी छूट प्रदान नहीं की जाएगी, तथापि, बीमारी/प्रसूति से संबन्धित चिकित्सा प्रमाण पत्र, शासकीय अस्पताल/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमअस्पताल /सैनिक अस्पताल/कमान अस्पताल, जैसा भी प्रकरण हो, के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/सिविल सर्जन द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये। संबन्धित कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने संबंधी ऐसी कोई भी प्रार्थना, यदि हो तो, के.वि.सं. (मु.) को उचित माध्यम से मेल आई.डी. kvse23@gmail.com पर दिनांक 15.05.2023 तक प्राप्त हो जानी चाहिए।
- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि, दी गई पदस्थापना के स्थान में परिवर्तन/संशोधन से संबंधित किसी भी आवेदन/प्रतिवेदन पर (उक्त बिन्दु क्र.1 के अलावा), किसी भी परिस्थिति में कोई भी विचार नहीं जाएगा व दिये गए समयावधि के पश्चात पदोन्नति के इस प्रस्ताव को स्वतः ही निरस्त माना जाएगा तथा भविष्य में इस संबंध में कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा।

विभागीय पदोन्नति पर यह पदस्थापना सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत जारी किया जाता है।


04/05/23

(दीपक कुमार डबराल)

सहा. आयुक्त (स्थापना-II & III)

वितरण:

- संबन्धित कर्मचारी को इस निर्देश के साथ कि, वे अपनी पदोन्नति पर पदस्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृत करने संबंधी लिखित स्वीकृति-पत्र (बिना-शर्त) दिनांक 15.05.2023 तक प्रेषित कर दिनांक 25.05.2023 तक कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा इस ज्ञापन का उपरोक्त बिन्दु 2 लागू माना जाएगा तथा भविष्य में उनकी पदोन्नति पर नियमानुसार कदम उठाए जाएंगे।
- संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय/ संभागीय कार्यालय (कॉलम क्र.5) जहां से कर्मचारी कार्यमुक्त हो रहा के प्राचार्य/ उपायुक्त को इस निवेदन के साथ कि :
 - वे उनके कार्यालय/विद्यालय में कार्यरत कर्मचारी को कार्यमुक्त करने से पहले, पदस्थापित विद्यालय/संभागीय कार्यालय / मुख्यालय (कॉलम क्र.6) जहां कर्मचारी पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने जा रहा है वहाँ पर सहायक अनुभाग अधिकारी पद की रिक्ति है या नहीं यह सुनिश्चित कर लें, तत्पश्चात उस कर्मचारी को कार्यमुक्त करें। यदि उस पद की रिक्ति नहीं है तो, इसकी सूचना के.वि.सं. (मु.) को त्वरित गति से (दूरभाष व मेल के माध्यम से) प्रेषित करें व उस कर्मचारी को कार्यमुक्त ना करें।
 - संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय/संभागीय कार्यालय (कॉलम क्र.5) जहां से कर्मचारी कार्यमुक्त हो रहा है/ कार्यभार ग्रहण (कॉलम क्र. 6) कर रहा है, से संबंधित कर्मचारी की कार्यभार मुक्ति / कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के.वि.सं. (मु.) को त्वरित गति से (दूरभाष व मेल के माध्यम से मेल आई.डी. kvse23@gmail.com पर) प्रेषित करें।
 - वे कर्मचारी की कार्यभार मुक्ति से पहले पुनः ये सुनिश्चित कर लें कि संबन्धित कर्मचारी की सभी योग्यता सहायक अनुभाग अधिकारी के पद हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार है या नहीं, विसंगति होने पर इसकी सूचना

- को त्वरित गति से (दूरभाष व मेल के माध्यम से) के.वि.सं. (मु.) को प्रेषित करें व उस कर्मचारी को कार्यमुक्त ना करें।
- iv. संबन्धित कर्मचारी यदि अनुसूचित जाति/जनजाति से संबन्धित पदोन्नति पर पदस्थपित हो रहा है तो संबन्धित जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन भी कर लें। कोई भी विसंगति होने पर इसकी सूचना के.वि.सं. (मु.) को त्वरित गति से (दूरभाष व मेल के माध्यम से) प्रेषित करें व उस कर्मचारी को कार्यमुक्त ना करें।
- v. पदोन्नत कर्मिक के विरुद्ध किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई / सतर्कता जांच व अन्य दंडात्मक प्रक्रिया लागू अथवा विचारधीन नहीं होनी चाहिए। यदि किसी कर्मिक के विरुद्ध उपरोक्त कार्रवाई विचाराधीन है तो उसको कार्यमुक्त न किया जाए। व इसकी सूचना के.वि.सं. (मु.) को त्वरित गति से (दूरभाष व मेल के माध्यम से) प्रेषित करें।
3. सभी संभागीय कार्यालय के वित्त अधिकारी, सूचनार्थ।
4. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन/कर्मिक), के.वि.सं. (मु.) सूचनार्थ।
5. उपायुक्त, (ई.डी.पी. प्रकोष्ठ), के.वि.सं. (मु.) को इस निवेदन के साथ वे इस जापन को के.वि.सं. (मु.) की वेब-साइट पर प्रकाशित करें।